न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 04/2022

अपीलार्थी –	*बनाम*	उत्तरदाता –
ओमप्रकाश पुत्र चिमाराम (उचित मूल्य दुकानदार) जाति जाट निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2021 जो विभागीय प्रकरण सं. 116/2020 में जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 116/2020 सरकार बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र चिमाराम (उचित मूल्य दुकानदार) जाति जाट निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.08.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक मूल्य प्रदर्शन नहीं करना, पॉश मशीन से उपभोक्ताओं को पर्ची उपलब्ध नहीं करवाना, चयनित राशनकार्डों में यूनिटों पर नियमानुसार गेहूँ वितरण नहीं करके कम वितरण करना, मनमर्जी से उचित मूल्य की दुकान खोलना, वितरण में अनियमितता करना पाया गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री वितरण में अनियमितता एवं कम वितरण करना जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थी के नाम ग्राम बिशाला आगोर हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों की शिकायत पर तथ्यहीन एवं निराधार आरोपों तथा मौखिक बयानों पर बिना कोई तथ्यात्मक जांच किये निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। राजनैतिक द्वेषवश कुछ विरोधियों द्वारा झूठी मनगढत शिकायत करने पर उत्तरदाता ने अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को रिपोर्ट की गई जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना मौके पर आये एवं तथ्यात्मक जांच किये झूठी अनियमितताएं दर्शाकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। मौके पर अपीलार्थी द्वारा अपनी उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन माह अगस्त में जांच की गई थी एवं बारिश के मौसम होने से सूचना मिट जाना सामान्य तथ्य है। लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं का कुछ समय तक रसीद उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। जांच रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय में राशन वितरण में अनियमितता होना दर्शाया गया है जबकि क्या अनियमितताएं थीं इसका कोई उल्लेख अथवा साक्ष्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र मौखिक बयानों को सत्य मानकर पारित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:57 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि उत्तरदाता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 19.03.2021 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई जिस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी को दिनांक 14.12.2021 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ही अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार कर मैरिट पर सुनवाई किये जाने निवेदन किया है।

6. उत्तरदाता की ओर से पैरोकार द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अपीलार्थी के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से समय पर स्टॉक मूल्य प्रदर्शन नहीं करना, पॉश मशीन से उपभोक्ताओं को रसीद उपलब्ध नहीं करवाना, चयनित राशनकार्डों में यूनिटों पर नियमानुसार गेहूं वितरण नहीं करके कम वितरण करना, मनमर्जी से उचित मूल्य की दुकान खोलना, तथा वितरण में अनियमितता करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 पारित किया गया है, जो सही एवं उचित है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 11.01.2022 को मयाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा मयाद के संबंध में प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट की अपील मयाद एवं मैरिट पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ओमप्रकाश पुत्र चिमाराम (उचित मूल्य दुकानदार) जाति जाट निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.08.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर स्टॉक मूल्य प्रदर्शन नहीं करना, पॉश मशीन से उपभोक्ताओं को रसीद उपलब्ध नहीं करवाना, चयनित राशनकार्डों में यूनिटों पर नियमानुसार गेहूं वितरण नहीं करके कम वितरण करना, म[illegible] उचित मूल्य की दुकान खोलना, तथा वितरण में अनियमित[illegible]ओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक [illegible] विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की [illegible] संख्या 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने की दिनांक 19.03.2021 को स्वयं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसे में अपीलार्थी का यह कहना कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई, कतई मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत की है तथा मयाद के संबंध में प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि दिनांक 19.03.2021 को स्वयं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं उसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा यह अपील देरी से प्रस्तुत की गई है लिहाजा अपीलांट की अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 116/2020 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:57 IST
Reason: SelfAttested